कार्यालय, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, भोजपुर।

सकारण आदेश

राज्य खाद्य निगम गोदाम, बड़हरा से दिनांक 17.03.2018 को भंडार निर्गमादेश सं0–07031802970 एवं 07031803000 के विरूद्ध कुल 38.25 क्वींटल चावल तथा 25.5 क्वींटल गेहूँ वाहन सं0–BR 03K 8228 एवं CH 65 138 पर लोड कराकर आर0टी0 नोट सं0 2885897 एवं 2885898 को संधारित करते हुए उक्त खाद्यान्न को श्री शिवलाल राय, ज0वि0प्र0 विकेता, नथमलपुर, बड़हरा की दुकान तक सुरक्षित पहुँचाने हेतु बड़हरा गोदाम के डोर स्टेप डिलेवरी के परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता, श्री संजय कुमार सिंह के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री रंजन कुमार सिंह को हस्तगत कराया गया। उक्त खाद्यान्न श्री शिवलाल राय, ज0वि0प्र0 विकेता की दुकान तक डोर स्टेप डिलेवरी के परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता द्वारा नही पहुंचाया गया।

पुनः दिनांक 22.03.2018 को निम्नांकित ज0वि0प्र0 विकेताओं की दुकान के लिए निम्नलिखित भंडार निर्गमादेशों के विरूद्ध उनके नाम के सामने अंकित मात्रा में चावल एवं गेहूँ का आर0टी0 नोट संधारित कर अधोलिखित वाहनों द्वारा भेजने हेतु उक्त खाद्यान्न को बड़हरा गोदाम के डोर स्टेप डिलेवरी के परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता, श्री संजय कुमार सिंह के प्राधिकृत प्रतिनिधि को हस्तगत कराया गया।

क0 सं0	डीलर का नाम	भंडार निर्गमादेश सं0	निर्गत खाद्यान्न की मात्रा (क्वी0 में)	वाहन सं0	RT Note No.
1	श्री शिवकुमार तिवारी	07031802887 07031802924	चवल – 61.71 गेहूँ – 41.14	BR 3G 8833, BR 03K 6895, BR 03K 8228	2885293 2885292 2885291
2	श्री भुवनेश्वर प्रसाद	07031802885	चवल – 08.55 गेहूँ – 05.70	CH 65 138	2885288
3	श्री अजय कुमार राम	07031802884 07031802922	चवल – 37.86 गेहूँ – 25.24	BR 03K 0342, BR 03K 7696	2885286 2885287

उक्त खाद्यान्न उपर्युक्त ज0वि0प्र0 विकेताओं की दुकान तक डोर स्टेप डिलेवरी के परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता द्वारा नहीं पहुँचाया गया। उपर्युक्त ज0वि0प्र0 विकेताओं के यहाँ उक्त खाद्यान्न नहीं पहुँचाये जाने की शिकायत पर उप विकास आयुक्त, भोजपुर आरा की अध्यक्षता में दिनांक 31.03.2018 को जॉच हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक प्रबंधक, बड़हरा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ट्रांसपोर्टर को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया, जिसका आर0टी0 चालान पर पावती भी लिया गया है, जबकि संबंधित ज0वि0प्र0 विकेताओं द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया है। इस पर ट्रांसपोर्टर के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके द्वारा विकेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है, परन्तु ट्रांसपोर्टर द्वारा आर0टी0 चालान एवं एस0आई0ओ0 पर संबंधित विकेताओं के खाद्यान्न प्राप्ति का हस्ताक्षर का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त खाद्यान्न के परिवहन में डोर स्टेप डिलेवरी के परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता, श्री संजय कुमार सिंह को दोषी पाते हुए उप विकास आयुक्त, भोजपुर आरा के पत्रांक 287 दिनांक 31.03.2018 के माध्यम से सहायक प्रबंधक, बड़हरा को श्री संजय कुमार सिंह, ट्रांसपोर्टर (डी0एस0डी0) पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेशित किया गया। तदुपरान्त श्री तौसीफ क्याम, सहायक प्रबंधक, बड़हरा द्वारा श्री संजय कुमार सिंह के विरूद्ध बड़हरा थाना कांड सं0–128 दिनांक 01.04.2018 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

दर्ज प्राथमिकी के फलस्वरूप जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर के कार्यालय आदेश, ज्ञापांक 861 दिनांक 03.04.2018 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन परिवहन, हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता को परिवहन एवं हथालन कार्य से तत्कालिक प्रभाव से विमुक्त कर दिया गया है।

1. परिवहन समिति की बैठक में उपस्थित श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन डोर स्टेप डिलेवरी के परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता को उपर्युक्त संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। श्री सिंह द्वारा अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य/प्रदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. श्री संजय कुमार सिंह द्वारा अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य/प्रदर्श प्रस्तुत नहीं करने के स्थिति में उपर्युक्त सभी तथ्यों पर सम्यक् विचार करते हुए जिला परिवहन समिति, भोजपुर द्वारा उप महाप्रबंधक, परिवहन, निगम मुख्यालय, पटना के पत्रांक 6698 दिनांक 03.07.2018 के आलोक में (क) श्री संजय कुमार सिंह तत्कालीन परिवहन, हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) द्वारा किए गए एकरारनामा को रद्द करने, (ख) श्री सिंह को अगले पॉच वर्षो के लिए परिवहन अभिकर्त्ता की काली सूची में नाम दर्ज करने तथा (ग) श्री सिंह तत्कालीन परिवहन, हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) द्वारा जमा की गई जमानत की राशि (पॉच लाख रूपये) एवं बैंक गारंटी की राशि (दस लाख रूपये) को जब्त करने के लिए सकारण आदेश पारित करने हेतु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर को निदेशित किया गया।

अतः दिनांक 17.03.2018 एवं 22.03.2018 को राज्य खाद्य निगम, भोजपुर के टी0पी0डी0एस0 गोदाम बड़हरा से बड़हरा प्रखण्डान्तर्गत नथमलपुर पंचायत के ज0वि0प्र0 विकेताओं के लिए खाद्यान्न का उठाव कर गंतव्य तक नहीं पहुँचाने के कारण डी0एस0डी0 अभिकर्त्ता श्री संजय कुमार सिंह को खाद्यान्न के उठाव में अनियमितता बरतने के लिए दोषी पाये जाने के चलते जिला परिवहन समिति, भोजपुर आरा के उपर्युक्त निदेश के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह डी0एस0डी0 अभिकर्त्ता द्वारा किये गये एकरारनामा की कंडिका 4 (d),(e), (f) में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैः–

1. श्री संजय कुमार सिंह, परिवहन, हथालन–सह आपूर्ति अभिकर्त्ता (D.S.D) भोजपुर द्वारा किये गये एकरारनामा को रद्द किया जाता है।

2. श्री संजय कुमार सिंह, परिवहन, हथालन–सह आपूर्ति अभिकर्त्ता (D.S.D) को अगले 5 वर्षो के लिए परिवहन अभिकर्त्ता की काली सुची में डाला जाता है एवं किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंन्धित किया जाता है।

3. श्री संजय कुमार सिंह, परिवहन, हथालन–सह आपूर्ति अभिकर्त्ता (D.S.D) भोजपुर द्वारा जमा की गई राशि (5 लाख रू0) एवं बैंक गारंटी की राशि (10 लाख रू0) को जब्त किया जाता हैं।

जिला प्रबंधक
राज्य खाद्य निगम
भोजपुर।

ज्ञांपाकः– 1675 दिनांकः– 2·8·18

प्रतिलिपिः– श्री संजय कुमार सिंह,परिवहन ,हथालन–सह आपूर्ति अभिकर्ता (D.S.D), राज्य खाद्य निगम भोजपुर आरा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उपमहाप्रबंधक, परिवहन निगम मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला प्रबंधक
राज्य खाद्य निगम
भोजपुर।

कार्यालय, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, भोजपुर।

कार्यालय आदेश

राज्य खाद्य निगम गोदाम बड़हरा से बड़हरा प्रखंडान्तर्गत नथमलपुर पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री शिव लाल राय, श्री शिव कुमार तिवारी, श्री भुवनेश्वर प्रसाद एवं श्री अजय कुमार राम की दुकानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत माह मार्च के आवंटन के विरूद्ध निर्गत खाद्यान्न के परिवहन में जाँचोपरान्त पायी गई अनियमितता के लिए राज्य खाद्य निगम गोदाम बड़हरा के परिवहन, हथालन सह आपूर्ति अभिकर्त्ता श्री संजय कुमार सिंह के विरूद्ध मो0 तौसीफ क्याम, सहायक प्रबंधक बड़हरा द्वारा बड़हरा थाना प्रखंड संख्या 128/18 दिनांक 01.04.2018 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है।

उक्त दर्ज प्राथमिकी के फलस्परूप श्री संजय कुमार सिंह परिवहन, हथालन सह आपूर्ति अभिकर्त्ता बड़हरा को तात्कालिक प्रभाव से डोर स्टेप डिलेभरी के तहत परिवहन सह हथालन कार्य से विमुक्त किया जाता है।

3.4.18

जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
भोजपुर, आरा।

ज्ञापांकः- 861 दिनांकः- 3.4.18

प्रतिलिपिः- श्री संजय कुमार सिंह, परिवहन हथालन सह आपूर्ति अभिकर्त्ता बड़हरा गोदाम/मो0 तौसीफ क्याम सहायक प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बड़हरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर आरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, भोजपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

3.4.18

जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
भोजपुर, आरा।